

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी डी०डी०ओ०,
श्रम विभाग, हरियाणा।

क्रमांक: स्था०/०५/२०२४/१७५५७-५००

दिनांक: ५/०७/२४

विषय:- बायोमैट्रिक मशीन की मांग के बारे में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सादर सूचित किया जाता है कि पुरानी बायो मैट्रिक मशीनें दिनांक ३१.०७.२०२४ तक ही चलन में रहेंगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके व आपके अधीन कार्यालयों की बायो मैट्रिक मशीन संबंधित मांग दिनांक १०.०७.२०२४ तक मुख्यालय की मेल establishment456@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बायो मैट्रिक मशीनों की मांग निर्धारित परफोर्मा अनुसार मुख्यालय पर निम्न प्रकार से भेजे :-

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	बायोमैट्रिक मशीन की संख्या

देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

cut
सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।
chan